गृह मंत्रालय मांग संख्या 54 गृह मंत्रालय (लद्दाख)

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			ब जट 2021-2022		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल				2331.72	3626.28	5958.00	2331.72	3626.28	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00
ā	वसूलियां												
	 प्राप्तियां												
	निवल				2331.72	3626.28	5958.00	2331.72	3626.28	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय					155.53		155.53	128.83		128.83	93.70		93.70
2. अन्य स्थापना					1724.97		1724.97	1609.09		1609.09	1642.38		1642.38
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय			•••		1880.50		1880.50	1737.92		1737.92	1736.08		1736.08
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं													
3.01 जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					0.95	0.05	1.00	0.75	0.05	0.80	0.49	0.08	0.57
3.02 आपदा प्रबंधन					13.12	0.02	13.14	13.97	0.02	13.99	7.27	1.00	8.27
3.03 कृषि और संबद्ध योजनाएं					12.24	5.80	18.04	53.00	5.80	58.80	13.61	26.79	40.40
3.04 जल आपूर्ति और स्वच्छता					6.75		6.75	6.77	•••	6.77	5.00	***	5.00
3.05 ग्रामीण विकास					2.42	80.96	83.38	4.37	80.96	85.33	4.21	80.00	84.21
3.06 विद्युत					0.10	53.97	54.07	121.41	53.97	175.38	89.00	134.66	223.66
3.07 वानिकी और वन्यजीव					6.21	0.22	6.43	5.75	0.22	5.97	0.96	1.06	2.02
3.08 सिविल आपूर्ति					25.93	6.29	32.22	45.09	6.29	51.38	53.27	4.25	57.52
3.09 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य					0.71		0.71	1.23		1.23	3.68	3.00	6.68
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति					8.21	14.24	22.45	4.38	14.24	18.62	5.93	11.56	17.49
3.11 सामाजिक कल्याण					16.64	0.55	17.19	15.97	0.55	16.52	22.30	5.82	28.12
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग					23.11	4.18	27.29	21.74	4.18	25.92	12.79	3.38	16.17
3.13 सूचना और प्रचार-प्रसार					1.97		1.97	1.97		1.97	1.37	1.00	2.37
3.14 श्रम और रोजगार					48.01		48.01				0.01		0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.15 सड़कें और पुल				2.71	6.46	9.17	6.43	6.46	12.89	7.48	15.00	22.48
3.16 नागर विमानन				52.00		52.00	53.00		53.00	53.00	2.00	55.00
3.17 पर्यटन				14.57	32.93	47.50	13.68	32.93	46.61	2.54	30.00	32.54
3.18 लोक निर्माण कार्य				21.06	59.63	80.69	29.14	109.63	138.77	30.47	35.00	65.47
3.19 आवासन				1.70		1.70	1.00		1.00	1.00		1.00
3.20 शहरी विकास				12.33	11.46	23.79	12.10	11.46	23.56	12.10	6.90	19.00
3.21 पुलिस और अग्नि नियंत्रण					24.68	24.68	5.00	24.68	29.68	1.20	16.51	17.71
3.22 संचार											7.70	7.70
3.23 विज्ञान तकनिकी और पर्यावरण											1.20	1.20
3.24 यातायात											5.60	5.60
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं				270.74	301.44	572.18	416.75	351.44	768.19	327.68	392.51	720.19
 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक 				5.75		5.75	2.31		2.31	2.03		2.03
5. जनजातीय क्षेत्र घटक				152.00	3324.84	3476.84	151.38	3274.84	3426.22	243.15	3233.85	3477.00
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय				22.73		22.73	23.36		23.36	22.70		22.70
जोड़-अन्य				451.22	3626.28	4077.50	593.80	3626.28	4220.08	595.56	3626.36	4221.92
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय		•••		451.22	3626.28	4077.50	593.80	3626.28	4220.08	595.56	3626.36	4221.92
कुल जोड़		•••		2331.72	3626.28	5958.00	2331.72	3626.28	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00

- 1. **सचिवालय:** इसमें लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।
- 2. **अन्य स्थापना:** इसमें लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् लद्दाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, न्यायालयों, करों, कोषागार और लेखा प्रशासनिक स्थापना, पुलिस, जेल अन्य प्रशासनिक सेवाओं, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योगों, जनगणना, सर्वेक्षण और राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी और वन्य जीव, सिविल आपूर्तियों, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामलों, कला और संस्कृति, ग्रामीण और लघु उद्योगों, सूचना और प्रचार-प्रसार, श्रम और रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, नागर विमानन, सड़क परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, भू- विज्ञान और खनन आदि का स्थापन प्रावधान शामिल हैं।
- 3.01. **जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
 - 3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों के समय राहत हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.03. कृषि और संबद्ध योजनाएं: इसमें कृषि कार्य, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई का प्रावधान शामिल है।

- 3.04. जल आपूर्ति और स्वच्छता: इसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल है।
- 3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।
- 3.06. विद्युत: इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.07. **वानिकी और वन्यजीव:** इसमें वन और वन्य जीव विकास, संरक्षण और पुनःउत्पादन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सिविल आपूर्ति:** इसमें खाद्य भंडारण और भांडागारण तथा सिविल आपूर्ति, जनगणना और सांख्यिकी हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें चिकित्सा और जनस्वास्थ्य हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.10. शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति: इसमें शिक्षा (प्रारंभिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालयी, उच्चतर शिक्षा), खेलकूद, कला और संस्कृति हेतु प्रावधान शामिल है।

- 3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांगजन कल्याण, महिला और बाल कल्याण हेतु प्रावधान, स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिषेध, सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा कारीगरों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **सूचना और प्रचार-प्रसार:** इसमें सूचना और प्रचार-प्रसार तथा निर्वाचक नामाविलयों की लेखन सामग्री और मुद्रण हेतु
 प्रावधान शामिल है।
 - 3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम और रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.15. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.16. **नागर विमानन:** इसमें हैलीकॉपटरों और वायुयानों की चार्टिरंग हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.17. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, एलएएचडीसी तथा विभिन्न अन्य विभागों के निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।
 - 3.19. **आवासन:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **शहरी विकास:** इसमें इमारतों का निर्माण और मरम्मत, तथा कारगिल तथा लेह के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **पुलिस और अग्नि नियंत्रण:** इसमें पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रावधान शामिल है।
- 4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्यक्षेत्र के बजट के तहत अनुपूरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें परिषद सचिवालय और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए विशेष केंद्रीय पैकेज के रूप में केंद्र से सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 6. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें विश्वविद्यालयों और कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।